न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 67 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

प्रजापति मिष्ठान भंडार फ्रामजी चौक, नसीराबाद, जिला–अजमेर जरिये श्री पूरण प्रजापत पुत्र श्री गोविन्दराम प्रजापत, निवासी–जारिया ग्राम, उपखण्ड अजमेर।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 31.10.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय–नाश्ता–मिठाई बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	0142392	HPCL	15.9	30.1	14.2	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 01 घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मलका गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री फिरोज खान पुत्र श्री अमीन अहमद खान निवासी–राजनारायण रोड, नसीराबाद को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब या साक्ष्य, सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई रूक–रूक कर आवाजे लगवाने पर भी प्रार्थी / अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नही आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना के, अनुपस्थित है। अप्रार्थी द्वारा जरिये जवाब भी ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31..10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर